न्यायालय जिला कलक्टर अलवर (राजस्थान)

प्रा.पत्र संख्या	रजि0 नम्बर	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
15/33/2022	2022/53	17.02.2022	23.05.2022

—उनवान—

1. श्रीमति शीला देवी पत्नी गिर्राज प्रसाद अग्रवाल जाति महाजन निवासी ग्राम खेडली तहसील कठूमर जिला अलवर राज0।

—प्रार्थीनी

बनाम

1. प्राधिकृत अधिकारी (भूमि पुनर्ग्रहण) खेडली एवं उपखण्ड अधिकारी कठूमर जिला अलवर राज0।
2. चैयरमैन, नगर पालिका खेडली तहसील कठूमर जिला अलवर राज0।
3. अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका खेडली तहसील कठूमर जिला अलवर राज0।
4. तहसीलदार कठूमर जिला अलवर राज0।
5. श्रीमति रामदुलारी पत्नी मोहनलाल अग्रवाल जाति महाजन निवासी ग्राम खेडली तहसील कठूमर जिला अलवर राज0।
6. किशन पुत्र रघुवर जाति माली निवासी ग्राम गारू तहसील कठूमर जिला अलवर राज0।

—अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र मुन्तकिल

उपस्थितः—

01. श्री श्योराम सिंह नरूका —वकील प्रार्थीनी
02. श्री के. जी. खण्डेलवाल —वकील अप्रार्थी सं0 2 व 3
03. श्री मूलचन्द चौधरी —वकील अप्रार्थी सं0 6

—:: निर्णय ::—

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र मुन्तकिल पेश कर उपखण्ड अधिकारी कठूमर के न्यायालय में विचाराधीन वाद उनवान शीला देवी बनाम प्राधिकृत अधिकारी को किसी दीगर न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने का निवेदन किया है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी कर तलब किया गया।

विद्वान वकील प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मुंतकिल के सूक्ष्म तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय में उनवानी प्रकरण शीला देवी बनाम प्राधिकृत अधिकारी विचाराधीन है। अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी श्री रामकिशोर मीणा उक्त वाद की सुनवाई कर रहे है। दिनांक 10.02.2022 को ही पत्रावली बहस का अंतिम मौका देकर दिनांक 17.02.2022 को नियत कर दी गयी और यह कहा गया कि मेरे ऊपर राजनितिक दबाव है। मैं नगर पालिका के पक्ष में दिनांक 17.02.2022 को फैसला कर दूंगा, आप बहस करो या मत करो। भू—राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90बी के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी भूमि पुनर्ग्रहण खेडली सहायक कलक्टर कठूमर के आदेश दिनांक 22.01.2002 से असंतुष्ट होकर एक अपील संभागीय आयुक्त जयपुर में पेश की गयी जो दिनांक 11.04.2012 को मंजूर होकर सहायक कलक्टर कठूमर का अपीलाधीन आदेश दिनांक 22.01.2002 को विवादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 541 रकबा 2 बीघा 16 बिस्वा की सीमा तक निरस्त किया गया। प्रकरण उपखण्ड अधिकारी को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया गया कि अपीलार्थी को सुनवाई व सबूत शहादत का अवसर देते हुए प्रस्तुत दस्तावेजात् के परिपेक्ष्य में पुनः विधिसम्मत् निर्णय पारित करें। जो वर्तमान में उपखण्ड अधिकारी कठूमर के यहां विचाराधीन है। प्रकरण में प्राधिकृत अधिकारी भूमि पुनर्ग्रहण नगर पालिका खेडली की ओर से उपखण्ड अधिकारी कठूमर है और स्वंय पक्षकार है। इसलिए उक्त प्रकरण को न्यायिक दृष्टि से सुनवाई का क्षेत्राधिकार उपखण्ड अधिकारी कठूमर को नहीं है। दिनांक 10.02.2022 को उपखण्ड अधिकारी कठूमर द्वारा स्पष्ट रूप से कहा गया कि नगर पालिका खेडली के पक्ष में फैसला करूंगा। जिससे प्रार्थीनी को उपखण्ड अधिकारी कठूमर से न्याय की उम्मीद नहीं है। अतः उक्त वाद को किसी भी दीगर न्यायालय में मुंतकिल फरमाये जाने के आदेश फरमावें।

विद्वान वकील अप्रार्थी सं0 6 ने बहस व जवाब में निवेदन किया कि उक्त वाद में सहायक कलक्टर कठूमर द्वारा दिनांक 22.01.2002 को आदेश पारित किया गया। जिसके विरूद्ध प्रार्थीनी द्वारा माननीय संभागीय आयुक्त जयपुर में अपील की गयी। जिसका निर्णय दिनांक 11.04.2012 को पारित कर उपखण्ड अधिकारी कठूमर को रिमाण्ड किया गया। इस प्रकार उक्त वाद विगत 10 वर्षों से लंबित है। पीठासीन अधिकारी द्वारा कभी नहीं कहा गया कि उनके ऊपर राजनितिक दबाव है और नगर पालिका के पक्ष में फैसला करेंगे जबकि सही तथ्य यह है कि उक्त वाद बाद रिमाण्ड वर्ष 2012 से लंबित है। इसी

जिला कलक्टर अलवर

मंशा से प्रार्थीनी के द्वारा पूर्व में भी एक मुंतकिल प्रा0पत्र पेश किया गया था, जो दौराने विचारण तत्कालीन पीठासीन अधिकारी का स्थानांतरण हो जाने से दिनांक 11.08.2021 को खारिज किया जा चुका है। जिससे स्पष्ट है कि प्रार्थीनी अदालत के समक्ष शुद्ध हस्त से नहीं आई है तथा उसके द्वारा गलत व झूठे तथ्य पेश किये गये है। पीठासीन अधिकारी प्रकरण का निस्तारण विधि के नैसर्गिक सिद्धांत के अनुसार करने के पक्ष में है। प्रार्थीनी द्वारा मौजूदा प्रा0पत्र पीठासीन अधिकारी पर नाजायज दबाव दिलाकर जबरन विधि विरूद्ध तरीके से प्रकरण का निस्तारण कराना चाहती है। प्रार्थीनी द्वारा कृषि भूमि के अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग करने पर तहसीलदार कठूमर को मौका रिपोर्ट के अनुसार धारा 90 बी की कार्यवाही की गयी। धारा 90 के प्रावधानों का उल्लंघन किये जाने पर राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम की धारा 90 बी व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 63 में प्रदत्त शक्तियों के अन्तर्गत खातेदारी अधिकारों को समाप्त किया जाकर राजहित में पुनःग्रहित किया गया है। नगर पालिका खेडली का अधिकार व स्वामित्व प्रोदभूत होने के कारण नगर पालिका खेडली के नाम दर्ज करने के आदेश दिये गये, जिसकी पालना में इंतकाल नगर पालिका खेडली के नाम दर्ज हो चुका है। उक्त आदेश के विरूद्ध माननीय संभागीय आयुक्त जयपुर में अपील की गयी थी। जो दिनांक 11.04.2012 को अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड की गयी थी। अतः प्रार्थी का प्रा0पत्र मुंतकिल खारिज फरमाया जावें।

विद्वान वकील अप्रार्थी सं0 2 व 3 ने बहस व जवाब में निवेदन किया कि उक्त वाद में सहायक कलक्टर कठूमर द्वारा दिनांक 22.01.2002 को आदेश पारित किया गया। जिसके विरूद्ध प्रार्थीनी द्वारा माननीय संभागीय आयुक्त जयपुर में अपील की गयी। जिसका निर्णय दिनांक 11.04.2012 को पारित कर उपखण्ड अधिकारी कठूमर को रिमाण्ड किया गया। इस प्रकार उक्त वाद विगत 10 वर्षो से लंबित है। प्रार्थीनी द्वारा कृषि भूमि के अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग करने पर तहसीलदार कठूमर को मौका रिपोर्ट के अनुसार धारा 90 बी की कार्यवाही की गयी। धारा 90 के प्रावधानों का उल्लंघन किये जाने पर राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम की धारा 90 बी व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 63 में प्रदत्त शक्तियों के अन्तर्गत खातेदारी अधिकारों को समाप्त किया जाकर राजहित में पुनःग्रहित किया गया है। नगर पालिका खेडली का अधिकार व स्वामित्व प्रोदभूत होने के कारण नगर पालिका खेडली के नाम दर्ज करने के आदेश दिये गये, जिसकी पालना में इंतकाल नगर पालिका खेडली के नाम दर्ज हो चुका है। उक्त आदेश के विरूद्ध माननीय संभागीय आयुक्त जयपुर में अपील की गयी थी। जो दिनांक 11.04.2012 को अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड की गयी थी। अतः प्रार्थी का प्रा0पत्र मुंतकिल खारिज फरमाया जावें।

उपखण्ड अधिकारी कठूमर द्वारा अपने जवाब में निवेदन किया कि प्रार्थीनी द्वारा प्रस्तुत मुंतकिल प्रा0पत्र में मनगढंत, झूठे कथन अंकित किये है। न्यायालय हाजा का किसी पक्षकार से कोई संबंध व सरोकार नहीं है। फिर भी उक्त वाद को दीगर न्यायालय में मुंतकिल किया जाता है तो इस न्यायालय को कोई आपत्ति नहीं है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा प्रार्थीनी एवं अप्रार्थी द्वारा पेश दस्तावेजात् का अवलोकन व मनन किया। माननीय न्यायालय संभागीय आयुक्त जयपुर द्वारा दिनांक 11.04.2012 को प्रकरण उपखण्ड अधिकारी कठूमर को रिमाण्ड किया गया है। जिसके उपरांत वाद आदिनांक तक विचाराधीन है। पूर्व में भी न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर के यहां उक्त वाद को मुंतकिल करने हेतु मुंतकिल प्रा0पत्र पेश किया था, जो दिनांक 11.08.2021 को पीठासीन अधिकारी/ उपखण्ड अधिकारी कठूमर के स्थानांतरण होने के कारण खारिज किया जा चुका है। प्रार्थीनी ने नवीन पीठासीन अधिकारी के विरूद्ध आक्षेप लगाते हुए मुंतकिल प्रा0पत्र पेश किया गया है। प्रार्थी द्वारा प्रा0पत्र मुंतकिल के संबंध में किसी स्वतंत्र व्यक्ति का शपथ–पत्र भी पेश नहीं किया है। प्रार्थना पत्र मुंतकिल करने के संबंध में प्रार्थी द्वारा कोई ठोस साक्ष्य/सबूत पेश नहीं किये गये है। प्रार्थना–पत्र मुंतकिल खारिज योग्य है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र मुन्तकिल खारिज किया जाता है। निर्णय प्रति अधीनस्थ न्यायालय को पालनार्थ भिजवाई जावे। उपखण्ड अधिकारी कठूमर प्रकरण में नियमानुसार शीघ्र सुनवाई कर प्रकरण का विधिवत निस्तारण करें। इस न्यायालय की पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 23.05..2022 को अद्योहस्तारकर्ता द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शिव प्रसाद नकाते)
जिला कलक्टर अलवर
(राजस्थान)

जिला कलक्टर, अलवर